

व्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र०ग्वालियट

समक्ष - एम०के०सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 449-दो/2004 - विस्तृत - आदेश दिनांक 29-11-2003 - पाइत व्हाटा - आयुक्त, ग्वालियट संभाग, ग्वालियट - प्रकरण नम्बर 67/2002-03 निगरानी

नरेन्द्र सिंह पुत्र मोहन सिंह द्युवेशी
ग्राम मढ़ना खिटिया तहसील अशोकनगर
जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश

— — — आवेदक

विस्तृत

- 1- सोमा पुत्र भौदा हटीजन ग्राम मढ़ना खिटिया
तहसील व जिला अशोकनगर
- 2- म०प्र०शासन

— — — अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री के०के०द्विवेदी)

(अनावेदक क-१ के अभिभाषक श्री वाई.एस.भद्रौदिया)

(अनावेदक क-२ के पैनल लायट श्री राजीव गौतम)

आ दे श

(आज दिनांक 2-11-2016 को पाइत)

यह निगरानी आयुक्त, ग्वालियट संभाग, ग्वालियट व्हाटा मामला क्रमांक 67/2002-03 निगरानी में पाइत आदेश दिनांक 29-11-2003 के विस्तृत मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का साट यह है कि आवेदक ने नायव तहसीलदार अशोकनगर को आवेदन देकर बताया कि ग्राम मढ़ना खिटिया की भूमि सर्वे नंबर 139 एकड़ा 1.515 हैक्टर (आगे विवादित भूमि लिखा है) पर पिछले 10-12 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है, इसलिये इस भूमि को व्यवस्थापित किया जावे। नायव तहसीलदार अशोकनगर ने प्रकरण नंबर 129/94-95 अ-१९ पंजीबद्वा किया तथा आदेश दिनांक

(M)

14-6-1995 पाइत करके विवादित भूमि आवेदक को व्यवस्थापित कर दी। इस आदेश के विलक्ष्मि अनावेदक क्र-1 ने अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने प्रकरण नंबर 77 अप्रैल/1998-99 में पाइत आदेश दिनांक 27-3-2000 से नायव तहसीलदार अशोकनगर का आदेश दिनांक - 14-6-1995 निरस्त कर दिया। आवेदक ने इस आदेश के विलक्ष्मि आयुक्त, गवालियर संभाग, गवालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। आयुक्त, गवालियर संभाग गवालियर ने मामला क्रमांक 67/2002-03 निगरानी में पाइत आदेश दिनांक 29-11-2003 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश के विलक्ष्मि यह निगरानी है।

3/ निगरानी के आधारों पर हितबद्ध पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुने तथा अधीनस्थ व्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि नायव तहसीलदार ने जॉच में आवेदक का 10-12 वर्षों से विवादित भूमि पर कब्जा होना व खेती करना पाया है पटवारी भले ही आठ नौ सालों से कब्जा होना बता रहा है पटवारी नया था उसे जानकारी नहीं थी गॉव वालों से अन्दाज में पूछताछ करके पटवारी ने आठ नौ सालों से कब्जा होना लिखा है किंतु वास्तविक कब्जा साध्य के कथनों से 10-12 वर्ष का प्रमाणित हुआ है। विज्ञप्ति सही जाई हुई है। लिपिक वर्गीय कर्मचारी से तारीख आदि न डालने की गलती हो सकती है जिसके लिये किसान दोषी नहीं है। आवेदक भूमि व्यवस्थापन का पात्र है। उन्होंने निगरानी उचिकाट करने की प्रार्थना की है। अनावेदकगण के अभिभाषकों ने बताया है कि जब इस्तहार का प्रकाशन दोषपूर्ण है और गॉव वालों को व्यवस्थापन की जानकारी नहीं दी गई है एवं ग्राम पंचायत से अभिमत नहीं लिया गया है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का एवं आयुक्त गवालियर संभाग का आदेश यही होने से निगरानी निरस्त करने की मांग की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर मनन करने एवं तीनों अधीनस्थ व्यायालयों के आदेशों के परिशीलन करने पर स्थिति यह है कि नायव तहसील अशोकनगर ने प्रकरण नंबर 129/94-95 अ-19

म्म

म्/स

में पारित आदेश दिनांक 14-6-1995 से विवादित भूमि 1.515 हैक्टर आवेदक को व्यवस्थापित की है। राजस्व पुस्तक परिपत्र चाट-3 में स्पष्ट प्रावधान है कि 0.500 हैक्टर से अधिक भूमि का व्यवस्थापन नहीं किया जावेगा एंव भूमि व्यवस्थापन के पूर्व यह देखा जावेगा कि भूमि कौनसे से मेडिया कृषक करने में कौन कृषक व्यवस्थापन का पात्र है। भूमि बन्द / व्यवस्थापन के पूर्व सार्वजनिक प्रयोग के उद्देश्य से (ग्रामसभा) ग्राम पंचायत का अभिमत लिया जाना आवश्यक है अथवा ग्राम के दो तिहाई बासिन्दों की सहमति लेना चाहिये, किन्तु नायव तहसीलदार ने नियमों के विरुद्ध भूमि व्यवस्थापन किया है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने प्रकरण नंबर 77 अप्रैल/1998-99 में पारित आदेश दिनांक 27-3-2000 से नायव तहसीलदार अशोकनगर के आदेश दिनांक 14-6-1995 को ठीक ही निरस्त किया है जिसके कारण आयुक्त, ग्रालियट संभाग, ग्रालियट ने मामला क्रमांक 67/2002-03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29-11-2003 में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के आदेश दिनांक 27-3-2000 में एंव आयुक्त, ग्रालियट संभाग, ग्रालियट के आदेश दिनांक 29-11-2003 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, ग्रालियट संभाग, ग्रालियट व्याया मामला क्रमांक 67/2002-03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29-11-2003 विधि अनुकूल पाने के कारण यथावत् देखा जाता है।


(एम पी कोर्सिंह)
सदस्य

राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्रालियट